



Neutral Citation No. -2026: AHC:179409

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30060/2026

संदीप

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : अमित कुमार, विनोद कुमार त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : फराह ज़फर, शासकीय अधिवक्ता, जंग बहादुर सिंह, सदाफुल इस्लाम जाफ़री

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अमित कुमार, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री सदाफुल इस्लाम जाफ़री तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त- **संदीप** द्वारा मामला मुकदमा अपराध संख्या 215/2026, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुलंदशहर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जाँच के दौरान अभियुक्त आवेदक को पीड़ित के पिता द्वारा छह नामजद तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दिनांक 19.06.2026 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में झूठा फँसाया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में विलंब हुआ है जैसे घटना प्रातः लगभग 11:15 बजे हुई, जबकि उसी दिन शाम 03:12 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। आगे यह तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में गुलजार को लगी चोटों अथवा अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से प्रयुक्त हथियार का कोई विवरण तक नहीं है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वाहन चलाते समय रास्ता देने के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद हुआ था। बाद में, छह नामजद तथा एक अज्ञात व्यक्ति गुलजार के कार्यालय में आए और उसे धमकी दी। बाद में यह सामने आया कि घायल गुलजार के पेट में एक गोली लगी थी, जो प्रवेश घाव था। आगे यह तर्क दिया गया कि घायल तथा सूचनाकर्ता के बयानों में गोली लगने से चोट पहुँचाने का आरोप है। यह भी बताया गया कि इसी मामले के एक सह-अभियुक्त को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। विवेचना अभी जारी है और आवेदक विवेचना में सहयोग कर रहा है। आवेदक 22.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। वह अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध करते हैं।

4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया और कहा कि अभियुक्त-आवेदक की घटना में भूमिका है, क्योंकि घायल गुलजार को गोली लगी है और यह गोली चलाने का आरोप सभी अभियुक्तों, जिसमें वर्तमान आवेदक भी शामिल है, पर लगाया गया है। पीड़ित का इस संबंध में विशिष्ट बयान भी है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

5. न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6. न्यायालय ने पाया कि प्राथमिकी में न तो घायल को लगी चोटों का कोई विवरण है और न ही प्रयुक्त हथियार का कोई विवरण। इस प्रकार, चोटों की प्रकृति एवं संख्या तथा अभियुक्तों की संख्या को देखते हुए न्यायालय ने माना कि अभियुक्त-आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

7. अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. अभियुक्त/आवेदक को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गिरीश गाँधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एससीसी 674]** तथा **पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बैल, इन रे: [(2024) 10 एससीसी 685]** में दिए गए निर्देशों/निर्णयों के मद्देनज़र जमानत पर रिहा किया जाए।

9. अभियुक्त-आवेदक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

अगस्त 25, 2026